



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 ***

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0-25.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.राजकुमार पुत्र पेशकार 2. बल्लू पुत्र रक्षपाल निवासीगण रम्पुरा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 45/2017 वाद संख्या 09/2017 धारा 376,511 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 25.03.2026 को अभियुक्तो को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी-श्री प्रवीप कुमार



को0मो0 म0 का0 प्राची



पैरोकार का0 प्रवीन कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0-25.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 01. सुशील कुमार पुत्र रामनरेश 02. रामनरेश पुत्र सूबेदार निवासीगण पसई नगला थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद मु०अ०स०- 325/2004 वाद संख्या 239/2011 धारा 307/34 भादवि० थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-03/ स्पेशल डकैती कोर्ट द्वारा दिनांक 25.03.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री अनुज प्रताप सिंह



को० मो० हे०का० हरबिन्द्र सिंह



पैरोकार हे०का० मो० हारुज

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि०-25.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र रामनरेश निवासी पसई नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०- 372/2004 वाद संख्या 236/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा० न्यायालय एडीजे-03/ स्पेशल डकैती कोर्ट द्वारा दिनांक 25.03.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी- श्री अनुज प्रताप सिंह



को० मो० हे०का० हरबिन्द्र सिंह



पैरोकार हे०का० मो० हारुन

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 25.03.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा (वृद्ध दम्पति) की हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को आलाकत्ल (बिजली का तार) सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/26 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र स्व0 मुरारी लाल गुप्ता निवासी मो0 बगिया कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. जितेन्द्र पुत्र स्व0 मुरारी लाल गुप्ता निवासी मो0 बगिया कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 27.02.2026 को वादी श्री विमल कुमार पुत्र बृहानन्द गुप्ता निवासी ग्राम अकवरपुर लाल सहाय थाना नयागाँव जनपद एटा ने कोतवाली कायमगंज पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के सास व ससुर की हत्या कर दी गई है। वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 51/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल के आधार पर

अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र स्व० मुरारी लाल गुप्ता निवासी मोहला बगिया कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ का नाम प्रकाश में आया। जिसे आज दिनांक 25.03.2023 को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल (एक बिजली का तार) बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि वह मृतक के घर पर करीब 08 वर्ष से रह रहा था। वृद्ध पति-पत्नी पैरालाइसिस थे, मैं उनकी सेवा भी करता था। उन्होंने अपने जीवन काल में यह मकान मुझे देने का आश्वासन दिया था। मैंने इनकी बेटी का रिश्ता अपनी बेटी के देवर से कराया था। फिर भी इन लोगो ने मुझसे मकान खाली करने को बोल दिया। मुझे जानकारी हुई कि ये लोग अपने मकान को 30 लाख रूपये में बेच रहे हैं। इसी खुन्नस में मैंने दोनो लोगो की हत्या कर दी।

अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु०अ०सं० 51/26 धारा 103(1) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक बिजली का तार (आला कत्ल)

गिरफ्तारी/बरामदी करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. प्र०नि० श्री मदन मोहन चतुर्वेदी

02. निरीक्षक श्री सुरजीत सिंह

03. हे०का० रत्नेश कुमार

04. का० आर्य चौधरी

मीडिया सेल फतेहगढ़।